

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

का.आ. 356(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 के ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 10 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाऊन्डेशन, 159, सी.एस.टी. रोड कालिना सांताक्रुज (ई०) मुम्बई-400098 द्वारा भरतपुर (राजस्थान) और रायसेन (मध्यप्रदेश) में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की

संभावना है ;

924 Gil/C3 — 3

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, 159, सी.एस.टी. रोड कालिना सांताक्रुज (ई0) मुम्बई-400098 द्वारा भरतपुर (राजस्थान) और रायसेन (मध्यप्रदेश) में एकीकृत ग्रामीण विकास की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र पांच करोड़ सैतालीस लाख पांच हजार रूपए, की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।